हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

ग्राम – दहमीकलां बगरू जयपुर

निविदा–प्रपत्र

विश्वविद्यालय भवन व प्रांगण में बागवानी कार्य हेतु सेवाएं

क्रमांक : प.5(94)एचजेयू/जीएडी/बागवानी/2025/1882 दिनांक : 23/08/2025

खुली बोली/2025–26

वित्तीय वर्ष 2025–26 (शेष 06 माह) के लिए विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित लॉन तथा विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित इन्डोर एवं आउट डोर पैड–पौधों का जॉब बेसिस (कार्य आधार पर) बागवानी व वार्षिक रख–रखाव कार्य हेतु इच्छुक बागवान/व्यक्तियों/ठेकेदार से एकल लिफाफा मुहर बंद खुली बोली दिनांक 29.08.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	कार्य की विषयवस्तु	कुल अनुमानित राशि(रू)	बोली प्रपत्र शुल्क(रू)	बिड प्रतिभूति राशि 2%
1.	बागवानी कार्य – विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित लॉन तथा विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित इन्डोर एवं आउट डोर पैड–पौधों का जॉब बेसिस (कार्य आधार पर) बागवानी व वार्षिक रख–रखाव कार्य हेतु पेड–पौधों में पानी खाद्, कीटनाशक दवाई छिड़काव निराई, गुडाई, कटाई छटाई कार्य आदि व इसके उपयोग में आने वाली खाद, कीटनाशक दवाए एवं अन्य सामग्री	3.00 लाख	1180 (जीएसटी सहित) (डी.डी.)	6000/– (डी.डी.)

1. बोली प्रपत्र विश्वविद्यालय के रोकडपाल से बोली प्रपत्र शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय (राजकीय अवकाशों को छोडकर) में दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 29.08.2025 तक दोपहर 01:00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 29.08.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करवाया जा सकता है।
2. मूल सभी डी.डी व स्टाम्प पेपर अंतिम तिथि 29.08.2025 को 02:00 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे। अन्यथा बोली स्वीकार नहीं होगी।
3. बोली उपस्थित बोलीदाता/ठेकेदार के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को सायं 04:00 बजे विश्वविद्यालय भवन में कुलसचिव कक्ष में उपापन समिति द्वारा बोली खोली जावेगी।
4. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
5. बोली को किसी भी स्तर पर अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

6. बिड प्रतिभूति राशि एवं बिड प्रपत्र शुल्क **रजिस्ट्रार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर** के पक्ष में डी.डी/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराए जाने हैं। अतः दिनांक 29.08.2025 दोपहर 02:00 बजे तक मूल सभी डी.डी/बैंकर्स चैक एवं मूल स्टाप पेपर विश्वविद्यालय में जमा करवाने होगें अन्यथा बिड स्वीकार्य नही होगी।

कुलसचिव

क्रमांक : प.5(94)एचजेयू/जीएडी/बागवानी/2025/1883-1887 दिनांक : 23/08/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सहायक, कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर।
2. क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र..............
3. कार्यालय हाजा, नोटिस बोर्ड।
4. सूचना सहायक, एचजेयू, जयपुर को SPPP व विश्वविद्यालय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

कुलसचिव

बोलीदाता के हस्ताक्षर

खुली बोली की सामान्य शर्ते

1. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, जिसे आगे "अधिनियम" व "नियम" कहा गया है तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन, आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें। बोलीदाता को "अधिनियम" एवं "नियम" की पूर्ण जानकारी कर लेनी चाहिए। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" एवं "नियम" में किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "अधिनियम" एवं "नियम" के प्रावधान ही अभिभावी होगें।
2. यह निविदा विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित लॉन तथा विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित इन्डोर एवं आउट डोर पैड–पौधों, घास एवं खरपतवार का जॉब बेसिस (कार्य आधार पर) बागवानी व वार्षिक रख–रखाव कार्य हेतु पेड–पौधों में पानी खाद, कीटनाशक दवाई छिड़काव निराई, गुडाई, कटाई छटाई कार्य आदि व इसके उपयोग में आने वाली खाद, कीटनाशक दवाए एवं अन्य सामग्री सहित बागवानी कार्य संबंधी सेवा हेतु है।
3. रख–रखाव कार्य हेतु विभाग द्वारा पानी, की व्यवस्था की जावेगी। खाद, कीटनाशक दवाऐं, उद्यान में आने वाली सामग्री आदि का खर्चा एजेंसी/सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जावेगा तथा उक्त सामग्री को विश्वविद्यालय के कार्मिक की देख–रेख में उपयोग में ली जावेगी। बागवानी में काम आने वाले औजारों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी।
4. विश्वविद्यालय भवन के लॉन का कारपेट एरिया लगभग 22000 स्क्वायर फीट हैं तथा इन्डोर एवं आउटडोर पोधों, फूलों एवं सजावटी गमलों की देख–रेख/रख– रखाव हेतु पेड–पौधों की समय–समय पर निराई, गुढाई, कटाई, छटाई, पानी की व्यवस्था, करनी होगी। पौधों की समय–समय पर सफाई धुलाई व मिट्टी के गमलों की रंगाई ठेकेदार को करनी होगी। इन्डोर प्लान्टस को समय–समय पर धूप में रखने तथा वापस यथास्थान रखने का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
5. उक्त रख–रखाव कार्य हेतु कुलसचिव या उनके द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी विश्वविद्यालय भवन द्वारा दिये गये समस्त आदेशों/निर्देशों की पालना ठेकेदार को करनी होगी।
6. बोली की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जावे तो उस विवाद पर कुलसचिव का निर्णय अन्तिम होगा।
7. बोली की शर्तों का उल्लंघन करने या कार्य असन्तोष जनक पाये जाने पर बोली निरस्त की जा सकेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

8. निविदादाता को प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर फर्म की सील सहित करने होंगे।
9. बोली की दरें दिनांक 01.09.2025 से फरवरी, 2026 तक के लिए प्रभावी होगी। जिनको नियमानुसार समयवधि बढ़ाई जा सकेगी।
10. बोलीदाता/ठेकेदार उद्यान एव पौधों के देख–भाल/संधारण की बोली अन्य व्यक्ति/बागवान को सबलेट नहीं कर सकेगा। यदि ऐसा करना पाया गया तो अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
11. विश्वविद्यालय भवन में उद्यान में एवं गमलों के आस–पास सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा उद्यान की समय–समय पर घास की कटाई/छटाई ठेकेदार को करवानी होगी तथा लापरवाही के कारण पेड–पौधों के मरने पर ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, जिसकी वसूली की जावेगी।
12. उद्यान एवं गमलों में स्थित पौधों की देखभाल एवं रख–रखाव कार्य हेतु ठेकेदार स्वयं या उनके द्वारा रखे गये बागवान द्वारा किया जावेगा।
13. बागवानी कार्य का निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार कार्य उपयुक्त नहीं पाए जाने पर मासिक भुगतान में से कटौती करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
14. कार्य की क्रियान्विति में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से असफल रहने/कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली निर्धारित मासिक दर के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक परिनिर्धारित क्षति के रूप में राशि वसूल की जा सकेगी, जिसके बारे में कुलसचिव का निर्णय अंतिम होगा।
15. पेड–पौधों की देखभाल में यदि किसी कर्मचारी की किसी भी कारण वश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटना ग्रस्त घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने का भार ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नही होगा।
16. उद्यान में मवेशियों के प्रवेश पर नुकसान की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। नुकसान की दशा में उद्यान को पेड–पौधों से पूर्ववत सुसज्जित करने का दायित्व ठेकेदार का होगा।
17. किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही जयपुर स्थित न्यायालय में की जा सकेगी।
18. अनुभवी ठेकेदार को प्राथमिकता दी जाएगी तथा बोली निर्धारण से पहले ठेकेदार द्वारा अन्य स्थानों पर किए जा रहे बागवानी कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
19. सफल बोलीदाता को मासिक आधार पर भुगतान किया जावेगा। जिसमें आवश्यक कटौती/वसूली की जा सकेगी।
20. संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित

बोलीदाता के हस्ताक्षर

श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/ बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

21. बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा स्वयं की पहचान एवं निवास पते की पहचान की प्रमाणपत्र की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।
22. सफल बोलीदाता द्वारा उनके स्वयं के खर्चे पर 500 रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में 07 दिवस में उपापन संस्था के साथ करार पत्र करना होगा।
23. सफल बोलीदाता द्वारा दिये गये आदेश की रकम का 5 प्रतिशत राशि के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में कुलसचिव के नाम राशि डीडी/बैंकर्स चैंक या आरटीपीपी नियम 2013 के प्रावधानानुसार राशि रूपये 500.00 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र के साथ 07 दिवस में जमा करानी होगी।
24. दरें कुल मासिक संयुक्त दर (जीएसटी अतिरिक्त) सभी टैक्स सहित प्रस्तुत करनी होगी। मासिक संयुक्त दर (सभी टैक्स सहित व जीएसटी अतिरिक्त) के आधार पर निविदा निर्धारित की जाएगी।
25. प्रस्तुत दरें समान होने की स्थिति में अधिक अनुभव वाले निविदादाता को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अतः निविदादाता अपना समकक्ष बागवानी कार्य करने का अनुभव का प्रमाण संलग्न करें।
26. नियमानुसार EPF एवं ESI जमा करवाने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।
27. निविदादाता हो न्युनतम 05 बागवान लगाने होंगे।
28. किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव डॉ. अश्विनी शर्मा के मोबाइल 9929004555 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
29. बोली प्रपत्र विश्वविद्यालय के रोकडपाल से बोली प्रपत्र शुल्क जमा करवाकर कार्यालय समय (राजकीय अवकाशों को छोडकर) में दिनांक 23.08.2025 से दिनांक 29.08.2025 तक दोपहर 01:00 बजे तक प्राप्त कर दिनांक 29.08.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक जमा करवाया जा सकता है।
30. मूल सभी डी.डी व स्टाम्प पेपर अंतिम तिथि 29.08.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा कराने होंगे। अन्यथा बोली स्वीकार नहीं होगी।
31. बोली उपस्थित बोलीदाता/ठेकेदार के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को सायं 04:00 बजे विश्वविद्यालय भवन में कुलसचिव कक्ष में उपापन समिति द्वारा बोली खोली जावेगी।
32. सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

33. बोली को किसी भी स्तर पर अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है।
34. बिड प्रतिभूति राशि एवं बिड प्रपत्र शुल्क **रजिस्ट्रार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर** के पक्ष में डी.डी/बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा कराए जाने हैं। अतः दिनांक 29.08.2025 दोपहर 02:00 बजे तक मूल सभी डी.डी/बैंकर्स चैक एवं मूल स्टाप पेपर विश्वविद्यालय में जमा करवाने होगें अन्यथा बिड स्वीकार्य नही होगी।
35. फर्म का जीएसटी पंजीकरण अनिवार्य है। जीएसटी पंजीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रथम भुगतान से पूर्व पंजीकरण करनवाने का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
36. सफल बोलीदाता द्वारा जीएसटी पंजीकरण नहीं करवाए जाने की स्थिति में भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
37. निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों के सभी कॉलमों का भरना आवश्यक है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील
बोलीदाता का नाम

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–1

बागवानी कार्य का विवरण

क्र.सं.	बागवानी कार्य	बागवानी परिसर
1.	पेड–पौधों में पानी खाद, कीटनाशक दवाई, निराई, गुडाई, कटाई छटाई, फूलों एवं सजावटी गमलों की देख रेख कार्य तथा लॉन के घास की कटाई आदि	बागवानी – विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित लॉन तथा विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित इन्डोर एवं आउट डोर पैड–पौधों, घास एवं खरपतवार का जॉब बेसिस (कार्य आधार पर) बागवानी व वार्षिक रख–रखाव कार्य हेतु पेड–पौधों में पानी खाद, कीटनाशक दवाई छिड़काव निराई, गुडाई, कटाई छटाई कार्य आदि व इसके उपयोग में आने वाली खाद, कीटनाशक दवाए एवं अन्य सामग्री

नोटः कार्य की मात्रा व क्षेत्र का निरीक्षण/आंकलन हेतु विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया जा सकता है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ- 2

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड/वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय/बागवानी किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध है तथा "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपह्रत कर किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

दिनांक :

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय रबर सील
बोलीदाता का नाम

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ठ–3

''शपथ – पत्र
(50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर दिनांक सहित नोटेराईज)

1. मैं, बोलीदाता...यह सत्यापित (घोषणा) करता हूं कि राज्य के किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय द्वारा हमें गत 03 वर्षों में Black Listed/ debarred/ banned/restricted नहीं किया गया है।

2. मैंने/हमने बोली की समस्त शर्ते पढ़कर समझ ली हैं तथा मैं/हम इन समस्त शर्तों का पालन करने के लिये पूर्णतः सहमत हूं यदि बोली अवधि में किसी भी शर्त का उल्लंघन मेरे/हमारे द्वारा किया जाता है, तो मेरी/हमारी बोली निरस्त कर दी जावे।

3. मेरे/हमारे द्वारा निविदा हेतु प्रस्तुत सूचना/संलग्न दस्तावेज सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय सील

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ………………….. for procurement of …………………… in response to their Notice Inviting Bids No………….. Dated ……………. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been other wise disqualified pursuant to debarment proceedings ;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Registar, HJU, Jaipur.
The designation and address of the Second Appellate Authority is Vice Chancellor, HJU, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :

(a) Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

बोलीदाता के हस्ताक्षर

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

i. hear all the parties to appeal present before him: and

ii. peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

बोलीदाता के हस्ताक्षर

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय
HARIDEV JOSHI UNIVERSITY OF JOURNALISM AND MASS COMMUNICATION

बागवानी कार्य की दर प्रस्तुत करने का प्रपत्र

(1) बागवान/बोलीदाता/ठेकेदार का नाम ....

(2) पता ....
....
....

(3) मोबाईल नं0 ....

(4) जीएसटी अतिरिक्त

कार्य की विषयवस्तु	प्रस्तुत मासिक संयुक्त दर (सभी टैक्स सहित व जीएसटी अतिरिक्त)
बागवानी कार्य – विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित लॉन तथा विश्वविद्यालय भवन परिसर में स्थित इन्डोर एवं आउट डोर पैड–पौधों, घास एवं खरपतवार का जॉब बेसिस (कार्य आधार पर) बागवानी व वार्षिक रख–रखाव कार्य हेतु पेड–पौधों में पानी खाद्, कीटनाशक दवाई छिड़काव निराई, गुडाई, कटाई छटाई कार्य आदि व इसके उपयोग में आने वाली खाद, कीटनाशक दवाए एवं अन्य सामग्री	राशि अंको में .... राशि शब्दों में.. ....

हस्ताक्षर बोलीदाता
दिनांक ....

बोलीदाता के हस्ताक्षर